छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2025 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार,दिनांक 16 जुलाई, 2025 (आषाढ़ 25,1947)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (क्रमांक 10 सन् 1994) की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023–24 पटल पर रखेंगे।

(2) श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, समाज कल्याण मंत्री, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 83 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024–2025 पटल पर रखेंगी।

(3) श्री दयालदास बघेल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 19 एवं 30 के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 10–64/2009/खाद्य/29–2, दिनांक 1 सितम्बर, 2016 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम, 2016 के नियम 9 के उपनियम (छ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024–25 पटल पर रखेंगे।

(4) श्री दयालदास बघेल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2022–23 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री इन्द्र साव, द्वारिकाधीश यादव, श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य, प्रदेश में शक्ति चलित कृषि यंत्रों व उपकरणों के वितरण हेतु लागू चौम्प्स व्यवस्था में अनियमितता होने की ओर कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 2

(2) श्री अनुज शर्मा, सदस्य, मेसर्स नलवा स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड को आवंटित की जाने वाली खदान से आस–पास के लगे ग्रामों में गाड़ियों के परिवहन एवं प्रदूषण से होने वाली जान–माल की क्षति की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य, गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम भरदाखुर्द एनीकट से उद्धवहन सिंचाई योजना प्रारंभ करने,

(ii) ग्राम किलेपार झोपरा से जोरातराई तक नवीन सड़क निर्माण करने,

(iii) ग्राम परसाही (टी) के शासकीय हाईस्कूल हेतु नवीन शाला भवन निर्माण करने,

(iv) ग्राम शिकारीटोला के शासकीय प्राथमिक शाला हेतु नवीन शाला भवन निर्माण करने,

(v) ग्राम खुटेरी (खे) के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला हेतु नवीन शाला भवन निर्माण करने,

(vi) ग्राम तमोरा में संचालित हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(2) श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, कुरूद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धूमा से दर्रा रोड नाले पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण करने,

(3) श्री रोहित साहू, सदस्य, राजिम विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) राजिम में बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालय खोलने,

(ii) राजिम में संचालित राजीवलोचन महाविद्यालय में गणित, रसायन शास्त्र एवं कम्प्यूटर साईंस संकाय प्रारंभ करने,

(iii) राजिम में संचालित फणिकेश्वर नाथ महाविद्यालय में पी.जी.डी.सी.ए. कोर्स प्रारंभ करने,

(iv) राजिम में बी.एड. एवं डी.एड. कन्या महाविद्यालय खोलने **के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।**

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक,2025 (क्रमांक 15 सन् 2025) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(2) श्री रामविचार नेताम, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक,2025 (क्रमांक 16 सन् 2025) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(3) श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक,2025 (क्रमांक 18 सन् 2025) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

क्रमशः 3

(4) श्री ओ.पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री, छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक,2025 (क्रमांक 19 सन् 2025) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

निर्धारित समय 30 मिनट (5) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक,2025 (क्रमांक 15 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (6) श्री रामविचार नेताम, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक,2025 (क्रमांक 16 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

दिनेश शर्मा,
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 15 जुलाई, 2025